AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... **सहायक कलक्टर दौसा** ....

.... **रामनाथ** .... बनाम .... **मुरारी** ....

किस्म मुकदमा .... **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 जा0दी0** .... नं0 ....02.... सन् ....2020....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.2020	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत नाम का संशोधन करने बाबत अन्तर्गत धारा 151, 152 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त उनवानी वाद का निर्णय राजीनामा दिनांक 16.01.2020 को डिक्री फरमाया गया है। इस निर्णय डिक्री में सहवन से वादी संख्या 1/2 का नाम रामू पुत्र कालू अंकित हो गया। जबकि वाद में राजू पुत्र कालू दर्ज है। राजू व राजेश दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है तथा राजू का अन्य दस्तावेज में राजेश दर्ज है। उक्त नाम सहवन से निर्णय व डिक्री में गलत दर्ज हो गया। प्रार्थना पत्र धारा 151,152 जा0 दी0 के तहत निवेदन किया गया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2020 में वादी संख्या 1/2 रामू पुत्र कालू की जगह राजू उर्फ राजेश पुत्र कालू के नाम का संशोधन किया जाये। इस पर प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तत्पश्चात पत्रावली 25.08.2020 को पेश हुई। उभयपक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित हुए। वादी गण 1 /1 लगायत 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र बाबत राजू पुत्र कालू व राजेश पुत्र कालू एक ही व्यक्ति का नाम होने बाबत मय आधार कार्ड की छाया प्रति पेश की । वकील प्रतिवादी द्वारा नो ऑब्जक्शन किया गया। 9.11.2020 को पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षकारान बहस के दौरान उभयपक्षकारान अधिवक्ता ने वादी संख्या 1/2 का नाम राजीनामा एवं निर्णय व डिक्री में राजू पुत्र कालू के स्थान पर रामू पुत्र कालू सहवन से अंकित होना स्वीकार किया गया। वकील वादी की बहस पर [illegible] अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुचे [illegible] संख्या 1/2 का नाम राजीनामा एवं डिक्री में राजू उर्फ राजेश [illegible] कालू के स्थान पर रामू पुत्र कालू सहवन से अंकित हो [illegible] एवं राजीनामा में वादी द्वारा राजेश योगी नाम से हस्ताक्षर किये [illegible] है। ***"धारा 152 के तहत निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में लेखन या गणित संबंधी भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के भी आवेदन पर शुद्ध की जा सकती है।"***	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:11:25 IST
Reason: SelfAttested

अतः धारा 152 के तहत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। राजीनामा व दावा में राजू व राजेश एक ही व्यक्ति के नाम होने के कारण राजीनामा निर्णय व डिक्री में रामू पुत्र कालू के स्थान पर राजू उर्फ राजेश पुत्र कालू पढा जाये। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:11:25 IST
Reason: SelfAttested